

A draft Bill for introduction of two-tier system of Panchayati Raj-Panchayats at the village level, and Panchayat semities at the Block level-is under consideration ; as Manipur is a single district territory, the bill does not provide for Zilla Parishad.

Cultivable Land under Tenant-Cultivation System in Tripura

2571. SHRI KIRIT BIKRAM DEB BURMAN : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state how much of the total cultivable land in Tripura and in the whole of the country is at present under tenant-cultivation system ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : The proportion of leased-in households to total cultivating households in 1961 was 36.42 percent as against the all-India average of 23.56 percent.

सूरतगढ़ तथा जेतसर में केन्द्रीय पंजीकृत फार्म

2572. श्री प० ला० बाळपाल : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूरतगढ़ तथा जेतसर में केन्द्रीय पंजीकृत फार्म के अन्तर्गत कुल कितने एकड़ भूमि है ;

(ख) क्रमशः कितने क्षेत्र में फल और सब्जियां उगाई जाती हैं और कितनी भूमि में खेती नहीं की गई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार बिना खेती की भूमि को स्थानीय किसानों को पट्टे पर देने का है ; यदि हाँ, तो कब, और यदि नहीं तो क्यों ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) :

(क) सूरतगढ़ फार्म 30331 एकड़
जेतसर फार्म 22162 एकड़

(ख) सूरतगढ़ में 245 एकड़ क्षेत्र में फलोद्यान है। किसी भी प्रकार के फलज जेतसर में नहीं उगाये जा रहे हैं। जेतसर या सूरतगढ़ के किसी भी क्षेत्र में बनस्पतियां नहीं उगाई जा रही हैं।

सभा पटल पर रखा गया विवरण दोनों फार्मों में गत ३ वर्षों की खरीफ और रबी फसलों के दौरान खेती किये गये क्षेत्रों को बतलाता है। [पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT—2378/68]

(ग) यदि समुचित सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हों तो सरकार समस्त कृषि योग्य क्षेत्र पर फसल उगाने के लिए सशक्त है। स्थानीय कृषकों को भूमि पट्टे पर देने का प्रयत्न नहीं उठता।

केन्द्रीय पंजीकृत फार्म, सूरतगढ़

2573. श्री प० ला० बाळपाल : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पशुओं को चरने के लिए केन्द्रीय कृषि पंजीकृत फार्म, सूरतगढ़ की कितनी भूमि चरबाहों को पट्टे प्राप्ति पर दी गई है ;

(ख) उनके प्रति एकड़, प्रति 25 बीघे भ्रषवा प्रति मुरम्बा कितना किराया लिया जाता है ; और

(ग) इससे कुल कितनी आय होती है और इसका किस प्रकार उपयोग किया जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) 5,518.50 एकड़ का क्षेत्र 1968 के दौरान चराने के लिए लगान पर दिया गया था।

(ख) यह लगान 3.33 रु० से लेकर 10.00 रु० प्रति एकड़ तक था।

(ग) 1968 के दौरान कुल आय 27,530 रुपये होगी। यह आय फार्म की अन्य आयकी